

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) का कार्यालय

ओडिशा : भुवनेश्वर

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (Audit-I)
Odisha: Bhubaneswar

परिपत्र/ Circular

विषय/ Subject: रा.भा.का.स. की बैठक के कार्यवृत पर अनुपालना। Compliance on the Minutes of the OLIC

दिनांक 25.07.2023 को सम्पन्न हुई जून 2023 तिमाही से संबंधित राजभाषा कार्यान्वयन सिमिति (रा.भा.का.स.) की बैठक के कार्यवृत की प्रति संलग्न करते हुए आपसे अनुरोध है कि कार्यवृत के सिभी बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

Enclosed please find herewith the minutes of Official Language Implementation Committee (OLIC) meeting for the quarter ending June, 2023 held on 25.07.2023. Further, in this regard, you are requested to take immediate action on all the pointes of the minutes.

हस्ता/-वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ हिंदी Sr. Audit Officer/ Hindi दिनांक/ Dated :11.08.2023

ज्ञापन संख्या हि.प्रको./राभाकास/ कार्यवृत /11/2022-23/411 Memo No. Hindi Cell/OLIC/Minutes/11/2022-23/411 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित Copy forwarded for information and necessary action.

- 1- सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-।) ओडिशा, भुवनेश्वर/ The Secretary to PAG (Audit-I), Odisha Bhubaneswar
- 2- निजी सहायक, वरिष्ठ उप महालेखाकार, ए.एम.जी. III/ IV / Personal Asstt. to Sr. DAG, AMG III/ IV
- 3- आशुलिपिक, उप महालेखाकार, प्रशासन/ ए.एम.जी. V/ Steno. to DAG, Admn./AMG V
- 4- निजी सहायक, उप महालेखाकार, ए.एम.जी. II/ Personal Asstt. to DAG, AMG II
- 5- निजी सहायक, उप महालेखाकार, ए.एम.जी. I/ Personal Asstt. to DAG, AMG I
- 6- कल्याण अधिकरी/ Welfare Officer.
- 7- नियत्रंणाधिकारी / शाखा अधिकारी/ Branch Officer -सभी शाखाधिकारियों से अनुरोध है कि परिपत्र में निहित अंतर्वस्तु को अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में लायें। All the Branch Officers are requested to kindly bring the content of this circular to the notice of all the Officers/ employees working under their control.

ए.एम.जी I/ AMG-I	ए.एम.जी II / AMG-II	ए.एम.जीIII / AMG-III	ए.एम.जीIV / AMG-IV	ए.एम.जी V AMG-V		ओ.एम. I एवं II OM-I & OM-II
सम्पदा/ Estate	ओ.ई. O.E.	प्र0 एवं परीक्षा/ Training & Exam	प्रशासन / Admin.	विधिक/ Legal		रिपोर्ट/ Report
रिपोर्ट पी.ए.सी. Report PAC	ई.सी.पी.ए. ECPA	सचिवालय/ Secretariat	कल्याण / Welfa	lfare ਤੀ.ए. DA&		आर.सी/

8- शाखाधिकारी, डी.ए. एवं आर.सी से अनुरोध है कि कृपया इस परिपत्र को संलग्नक सहित कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

The Branch Officer i/c DA&RC is requested to kindly upload this circular along with its enclosures to our official website.

9- सूचना पट्ट /Notice Board

10-अतिरिक्त प्रति / Spare Copy.

हिंदी अधिकारी Hindi Officer

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-।) का कार्यालय ओड़िशा, भुवनेश्वर

वर्ष 2023-24 हेतु प्रथम राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक (दिनांक 25.07.2023) का कार्यवृत

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-।) का कार्यालय, ओड़िशा भुवनेश्वर की वर्ष 2023-24 हेतु दिनांक 30.06.2023 को समाप्त तिमाही के लिए प्रथम राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक श्री राज कुमार, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-।) ओड़िशा, भुवनेश्वर की अध्यक्षता में दिनांक 25.07.2023 को पूर्वाहन 11:00 बजे आयोजित हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थेः

- 1. सुश्री मनालिका बॉर्गोहाइन, उप महालेखाकार, प्रशासन/एएमजी V
- 2. सुश्री तान्या अम्बष्ठ, उप महालेखाकार, एएमजी I
- 3. श्री सचिन कृष्ण कौशिक, उप महालेखाकार, एएमजी II
- 4. श्री अशोक कुमार पंडा, कल्याण अधिकारी
- 5. श्री बिवेकानंद दास, सचिव, प्रधान महालेखाकार
- 6. श्री दीपक महान्ति, वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय स्थापना
- 7. श्री आशीष कुमार महान्ति, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एएमजी I
- 8. श्रीमती स्निग्धा महान्ति, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एएमजी II
- 9. श्री आशुतोष प्रसाद प्रतिहारी, वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी, ओएम एवं हिंदी
- 10. श्री रमेश चंद्र वराल, वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी, एएमजी III
- 11. श्री धीरज देबराज साहू, वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी, संपदा
- 12. श्री रश्मि रंजन सामंतराय, वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी, एएमजी IV
- 13. श्री सुकान्त कुमार मल्ल, वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी, रिपोर्ट एवं ईसीपीए
- 14. श्री हर प्रसाद महापात्र, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, संपदा-I
- 15. श्री बिक्रमसेन नायक, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, डीए एवं आरसी
- 16. श्रीमती आंखि सरकार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एएमजी V
- 17. श्री सरोज कुमार बारीक, सहायक पर्यवेक्षक, कल्याण
- 18. श्री आर्यन कुमार, लेखापरीक्षक, डीए एवं आरसी
- 19. श्री गिरराज शरण अग्रवाल, हिंदी अधिकारी (हिंदी प्रकोष्ठ)
- 20. श्री पुरुषोत्तम गिरि, वरिष्ठ अनुवादक
- 21. श्री राहुल कुमार वर्मा, कनिष्ठ अनुवादक

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I) ODISHA: BHUBANESWAR

Minutes of First Official Language Implementation Committee quarterly meeting held on 25.07.2023 for the quarter ended 31-03-2023 for the year 2023-24.

First Quarterly Meeting of Official Language Implementation Committee (OLIC) for the year 2023-24 of the Office of the Principal Accountant General (Audit I), Odisha, Bhubaneswar for the quarter ending 30-06-2023 was held on 25.07.2023 at 11:00 AM under the chairmanship of Shri Raj Kumar, Principal Accountant General (Audit I), Odisha. The following members were present in the meeting.

- 1. Smti. Manalika Borgohain, DAG, Admn/AMG V
- 2. Miss Tanya Ambshtha, DAG, AMG I
- 3. Shri Sachin Krishna Kaushik, DAG, AMG II
- 4. Shri Ashok Kumar Panda, Welfare Officer
- 5. Shri Bibakanand Das, Secretary to PAG
- 6. Shri Deepak Mohanty, Sr.A.O. /OE
- 7. Shri Ashish Kumar Mohanty, Sr.A.O. (AMGI)
- 8. Smti. Snigdha Mohanty, Sr. A.O. AMG II
- 9 Shri Ashutosh Prasad Pratihari, Sr A.O./O.M.I/Hindi Cell
- 10 Shri Ramesh Chandra Baral, Sr. A.O., AMG III
- 11 Shri Dhiraj Debraj Sahu, Sr. A.O., Estate
- 12 Shri Rasmi Ranjan Samantaray, Sr. A.O., AMG IV
- 13 Shri Sukanta Kumar Mall, Sr. A.O., Report & ECPA
- 14 Shri Hara Prasad Mohapatra, AAO, Estate-I
- 15 Shri Bikramsen Nayak, AAO, DA&RC
- 16 Smt. Ankhi Sarkar, AAO, AMG V
- 17 Shri Saroj Kumar Barik, Assistant Supervisor, Welfare
- 18 Shri Aryan Kumar, Auditor
- 19 Shri Girraj Sharan Agrawal, Hindi Officer
- 20 Shri Purushottam Giri, Sr. Translator
- 21 Shri Rahul Kumar Verma, Jr. Translator

वर्ष 2023-24 हेतु दिनांक 25.07.2023 को आयोजित प्रथम राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का कार्यवृत

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-।) महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई एवं बैठक में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई:

- 2. वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही (30.06.2023) हेतु प्रधान महालेखाकार महोदय को 'क' 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों के साथ किए गए पत्राचार के आंकड़ों, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी दस्तावेजों की संख्या एवं राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अंतर्गत जारी पत्रों की संख्या से अवगत कराया गया। संबंधित जानकारी से अवगत कराया गया। विश्लेषण के दौरान पाया गया कि कार्यालय ने पत्राचार के लिए राजभाषा विभाग द्वारा 'क' 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्यों से अधिक पत्राचार किया है। कार्यालय ने हिंदी टिप्पणी लेखन में भी निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया है।
- 3. प्रधान महालेखाकार महोदय द्वारा कार्यालय द्वारा "क" 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों में पत्राचार एवं टिप्पणी में लक्ष्यों की प्राप्ति पर संतोष व्यक्त किया गया। साथ ही उन्होंने अगली तिमाहियों में हिंदी पत्राचार एवं हिंदी टिप्पण बढ़ाने पर जोर दिया।
- 4. प्रधान महालेखाकार महोदय ने अगली तिमाही में कार्यालय के रिपोर्ट, प्रशिक्षण एवं परीक्षा प्रकोष्ठ, संपदा प्रकोष्ठ, डी.ए. एवं आर.सी., ए.एम.जी ॥, ए.एम.जी ॥ एवं आई.टी.ए. अनुभाग को पत्राचार के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्य (अर्थात 'क', 'ख', एवं 'ग' क्षेत्रों हेतु 55%) प्राप्त करने के निदेश दिये।
- 5. अध्यक्ष महोदय ने सभी शाखा अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मुख्य रूप से 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में नियमित आधार पर शत-प्रतिशत पत्र हिंदी/द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) में जारी करें क्योंकि उक्त क्षेत्रों में पत्राचार सीमित संख्या में किया जाता है।
- 6. अध्यक्ष महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक नियमित रूप से समाप्त तिमाही के अगले माह की 20 तारीख तक आयोजित किया जाना अनिवार्य है। अत: अध्यक्ष महोदय ने निदेशित किया कि, सभी अनुभाग/ प्रकोष्ठ, प्रत्येक तिमाही के अगले माह की 05 तारीख तक या उससे पूर्व. राजभाषा हिंदी तिमाही प्रतिवेदन, हिंदी प्रकोष्ठ को प्रेषित करें। निर्धारित समयाविध के बाद प्राप्त होने वाले प्रतिवेदनों

के लिए उनके स्वीकार्य कारण का औचित्य संबंधित अनुभाग के समूह अधिकारी के द्वारा निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक होगा।

7. अध्यक्ष महोदय ने हिंदी प्रकोष्ठ का नाम 'राजभाषा अनुभाग' करने की सहमति प्रदान की है। अत: अब से हिंदी प्रकोष्ठ को 'राजभाषा अनुभाग' के नाम से जाना जायेगा।

बैठक का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया।

सचिव/ रा.भा.का.स. एवं

उप महालेखाकार (प्रशासन)

Minutes of the 1st Quarterly Meeting of Official Language Implementation Committee (OLIC) for the year 2023-24, held on 25.07.2023

The meeting of the Official Language Implementation Committee (OLIC) held under the under the chairmanship of Shri Raj Kumar, Principal Accountant General (Audit-I). The following points were discussed in the meeting.

- 2. The Principal Accountant General was appraised about the number of documents issued under section 3(3) of Official Language Act, 1963 and number of letters issued under Rule 5 of the Official Language Rules, 1976, corresponding to regions 'A', 'B' & 'C' for the 1st quarter (30.06.2023) of the year 2023-24. During analysis, it was observed that more correspondence in Hindi has been executed by the office in this quarter than the target laid down by the Official Language Department for the regions 'A', 'B' & 'C'. The office has also achieved the target in terms of noting in Hindi in this quarter as well.
- 3. The Principal Accountant General expressed his satisfaction in achieving the targets in terms of correspondence and noting in Hindi for the regions 'A', 'B' & 'C' and also directed to enhance the percentage of correspondence and noting in Hindi for ensuing quarters.
- 4. The Principal Accountant General instructed Report Section, **Training & Exam Cell**, Estate Cell, **DA & RC Cell**, AMG-II, AMG-III and ITA section of this office to achieve the prescribed target (i.e. 55% for 'A', 'B' & 'C' regions) in terms of correspondences in Hindi/Bilingual.
- 5. The Chairman directed to all the Branch Officers to issue all letters in Hindi/bilingual (Hindi & English) especially to regions 'B' & 'C' on regular basis as limited numbers of letters are issued to the aforesaid regions.
- 6. During meeting, it was brought to the notice of the Chairman that quarterly meeting of Official Language Implementation Committee (OLIC) is mandatory to be held by the 20th of the following month of every quarter on regular basis. In this regard the chairman strictly directed to all sections/ cells that Quarterly Report must be submitted to Hindi Cell on or before 05th of the following month of every quarter. Further, a justification of Group officer of the concerned sections will be required, in case of delay submission of the report.
- The Chairman gave consent to rename the Hindi Cell to 'RAJBHASHA SECTION'. Therefore
 Hindi Cell will be known as Rajbhasha Section henceforth.

The meeting concluded with a vote of thanks to the Chairman.

11/8/28 11/8/28

Secretary/ OLIC Deputy Accountant General (Admn)